# डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 24/2025-26 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों (मुख पृष्ठ और पृष्ठ 164, 165, और 166) का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

**फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एएआई-रायपुर/सीपी-II/2025-26**

**आदेश संख्या 24/2025-26**

# भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
# AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

## स्वामी विवेकानन्द अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर (आरपीआर) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2025 से 31.03.2030) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

**जारी करने की तारीख:**
**19 दिसम्बर, 2025**

**तृतीय तल, उड़ान भवन,**
**सफदरजंग हवाईअड्डा,**
**नई दिल्ली – 110003**

## अध्याय 4 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

**अध्याय 4 : प्रथम नियंत्रण अवधि का टूअप**

4.11.1 तालिका 13 के विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

4.11.2 तालिका 14 में उल्लेख किए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.11.3 तालिका 15 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए आरएबी को मानना।

4.11.4 तालिका 18 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए 13.69%एफआरओआर को मानना।

4.11.5 प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 21 में प्रस्तुत किए अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.6 प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 28 के विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

4.11.7 तालिका 34 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वास्तविक वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.8 तालिका 36 में दिए गए विवरण के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए एआरआर और कम वसूली को मानना तथा प्रथम नियंत्रण अवधि की इस कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में समायोजित करना।

**अध्याय 5: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातायात**

5.6.1 तालिका 40 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यात्री और एटीएम यातायात को मानना।

5.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री और एटीएम) को टूअप करना।

**अध्याय 6: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार**

6.8.1 तालिका 52 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

6.8.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत कार्यक्षमता और औचित्य के आधार पर पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

6.8.3 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। इसके अतिरिक्त, यदि परियोजना पूर्ण होने में देरी किसी ऐसे कारण से होती है जो एएआई या उसकी संविदाकारी एजेंसी के नियंत्रण से बाहर है और इसका औचित्य प्राधिकरण को स्वीकार्य है तो प्राधिकरण द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक लागत का टू-अप करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।

6.8.4 तालिका53 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानना।

6.8.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

6.8.6 तालिका 54 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

6.8.7 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

**अध्याय 7 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर**

7.5.1 तालिका 55 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के संबंध में 12.09% के एफआरओआर को मानना।

**अध्याय 8 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति**

8.5.1 तालिका 57 में दिए गए विवरण के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति को मानना।

**अध्याय 9: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च**

9.5.1 तालिका 66 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.5.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान एएआई द्वारा रायपुर हवाईअड्डे के लिए वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को टू-अप करना।

**अध्याय 10: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व**

10.5.1 तालिका 69 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

10.5.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय रायपुर हवाईअड्डे के लिए एएआई द्वारा प्राप्त गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना, यदि यह प्राधिकरण द्वारा द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित गैर-वैमानिक राजस्व से अधिक हो।

**अध्याय 11 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान**

11.5.1 तालिका 73 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

11.5.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वैमानिक कर की राशि को उपयुक्त ढंग से टू-अप करना।

**अध्याय 12: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता**

12.5.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न मानना।

**अध्याय 13 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)**

13.5.1 तालिका 77 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और मुनाफे को मानना।

13.5.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एआरआर और वाईपीपी को टू-अप करना।

**अध्याय 14 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व**

14.6.1 तालिका 82 के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

14.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

## 13 आदेश

16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा संलग्नक-1 में बताए अनुसार रायपुर हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वसूली जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

16.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा द्वितीय नियंत्रण अवधि के आदेश के संलग्नक-1 में दिए गए दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

16.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

16.4 यह आदेश 01 जनवरी, 2026 से प्रभावी किया जाएगा।

16.5 हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

**प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता**

**(सुयश नारायण)**
**सचिव**

**सेवामें,**

**अध्यक्ष,**
**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,**
**राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,**
**नई दिल्ली-110003**

**प्रतिलिपि;**

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. नागर विमानन महानिदेशालय :एआईसी जारी करने के लिए